



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, जयपुर
Regional Capacity Building and Knowledge Institute, Jaipur



File. no- RTI/JPR/F-5/K-77/Guest House/2023-24/

दिनांक:-22.08.2023

कार्यालय आदेश संख्या 28

Office Order No. 28

कार्यालय आदेश संख्या 103 दिनांक 14.02.2012 के अधिक्रमण में, आर.सी.बी.एंड के.आई., हॉस्टल, जयपुर में आवास की दरों को निम्नलिखितनुसार संशोधित किया जाता है, संशोधित दरें दिनांक 01.09.2023 से प्रभावी होंगी :-

In supersession of Office Order no. 103 dated 14.02.2012, the rates for lodging at RCB&KI Hostel at Jaipur have been revised w.e.f. 01.09.2023 as mentioned below:-

Sl. No./क्र. सं.	Type of Occupant / अधिभोगी का प्रकार	Room rent Rate/ कमरा किराया दर
1.	Trainees of RCB&KI, Jaipur/प्रशिक्षु आर.सी.बी.एंड के.आई., जयपुर	Nil
2.	IA&AD personnel (on duty)/ IA&AD कर्मिक (ड्यूटी पर)	Rs. 300/- per day
3.	IA&AD Personnel (on transfer/not on duty/retired persons) and their family/ IA&AD कर्मिक (स्थानांतरण पर/ड्यूटी पर नहीं/सेवानिवृत्त व्यक्ति) और उनका परिवार	Rs. 500/- per day
4.	Others/अन्य	Rs. 900/- per day

A. The priority for allocation of rooms will be in the above order viz. SI. No. 1, 2, 3 & 4.

अ. कमरों के आवंटन की प्राथमिकता उपरोक्त क्रम में होगी- 01, 02, 03 तथा 04.

B. Only two rooms will be booked in the name of an IA&AD person (on transfer/not on duty/retired person) accompanied by his/her family or near relatives and officers of other Govt. Departments. In exceptional cases, an additional room will be provided with the prior approval of the Principal Director, RCB&KI Jaipur and subject of availability.

ब. IA&AD कर्मचारी (स्थानांतरण पर/ड्यूटी पर नहीं/सेवानिवृत्त व्यक्ति) और IA&AD कर्मियों के परिवार अथवा निकट संबंधी एवं अन्य सरकार के अधिकारियों के नाम पर अधिकतम केवल दो कमरे ही आरक्षित किए जाएंगे। असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त कमरा प्रधान निदेशक, आर.सी.बी. एंड के.आई., जयपुर की पूर्वानुमति से एवं उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

C. Accommodation will be provided for a period of not exceeding 3 days. Beyond the limit of 3 days, accommodation can be permitted with the prior approval of the Principal Director, RCB&KI Jaipur, in exceptional cases.

स. आवास 3 दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। असाधारण मामलों में, 3 दिन से अधिक के लिए आवास प्रधान निदेशक, आर.सी.बी. एंड के.आई., जयपुर की पूर्व अनुमति से प्रदान किया जा सकेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासन

ए. जी. कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर – 302015

A.G. Colony, Bajaj Nagar, Jaipur – 302015

दूरभाष / Tel.: 0141-2704709, फैक्स / Fax: 0141-2702927

ई-मेल / E-mail: rtijaipur@cag.gov.in, वेबसाइट / Website : <https://cag.gov.in/rti/jaipur/en>

